न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 73/2018

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. श्रीमती सुगनी पुत्री कौशलाराम पत्नी बींजाराम मेघवाल निवासी– ग्राम सेवडा तहसील कोलायत जिला बीकानेर। 2. श्रीमती लक्ष्मी पुत्री कौशलाराम पत्नी बूलाराम मेघवाल निवासी– ग्राम मोखेरी तहसील फलौदी जिला जोधपुर।		1. अमुराम के कायम मुकामः– 1/1 नखताराम पुत्र स्व.अमुराम 1/2 मांगीलाल पुत्र स्व.अमुराम 1/3 छोटाराम पुत्र स्व.अमुराम 1/4 बंशीलाल पुत्र स्व.अमुराम 1/5 श्रीमती बाधु पत्नी स्व.अमुराम जातियान–मेघवाल, निवासी देदासरी, तहसील बाप, जोधपुर। 1/6 लिछमी पुत्री स्व.अमुराम पत्नी भूराराम मेघवाल निवासी–नुरे की भुरज, तहसील बाप, जोधपुर 1/7 देउउ पुत्र स्व. अमुराम पत्नी जगदीश मेघवाल निवासी– एका तहसील फलौदी, जोधपुर। 2. बीरमाराम पुत्र कौशलाराम 3. नगाराम पुत्र कौशलाराम 4. फुसाराम पुत्र कौशलाराम के का.मु. 4/1 रूघनाथ पुत्र फुसाराम 4/2 प्रकाश पुत्र फुसाराम 4/3 नारायण पुत्र फुसाराम 4/4 माधाराम पुत्र फुसाराम 4/5 गोविन्दराम पुत्र फुसाराम जातियान–मेघवाल, निवासी देदासरी, तहसील बाप, जोधपुर। 4/6 गीता पुत्री फुसाराम पत्नी श्रवण मेघवाल, निवासी–दादू का गांव, तहसील बजू, जिला बीकानेर 4/7 इमरती पुत्री फुसाराम मेघवाल निवासी–कानासर, तहसील बाप, जिला जोधपुर। 4/8 सुआ पत्नी फुसाराम मेघवाल निवासी–अखाधना, तहसील शेखासर, जिला जोधपुर। 4/9 सतु पुत्री फुसाराम पत्नी रेवतराम मेघवाल, निवासी–टेकरा, तहसील बाप, जोधपुर। 4/10 ऐलची पुत्री फुसाराम पत्नी कैलाश मेधवाल निवासी– मलार तहसील फलौदी, जोधपुर। 4/11 बाया पुत्री फुसाराम मेघवाल निवासी–देदासरी, तहसील बाप, जिला जोधपुर। 5. प्रधान, पंचायत समिति, बाप, जोधपुर 6. सरपंच, ग्राम पंचायत देदासरी तहसील बाप, जोधपुर।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 08.01.2018 उपखण्ड अधिकारी, बाप के द्वारा राजस्व अपील संख्या 01/2016 अनवान नगाराम बनाम अमुराम वगैराह में पारित किया गया ।

2–श्री राजेन्द्रसिंह चावडा, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1/1 से 1/7 की ओर से।
3–श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता रेस्पो.संख्या 4/1 से 4/10 की ओर से ।
3– शेष रेस्पाडेन्टस अनुपस्थित है।

निर्णय

दिनांक 21 जुलाई 2023

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 ता 4 के पिता कौशलाराम के नाम से भूमि खेत ख0सं0 175 रकबा 251 बीघा, ख0सं0 177 रकबा 05 बीघा कुल 256 बीघा भूमि नामान्तरकरण संख्या 61 में दर्ज थी। अपीलान्ट के पिता के स्वर्गवास होने के बाद उपरोक्त दोनों खसरों तथा नामा0 संख्या 61 में दर्ज भूमि का नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अपने नाम से स्वीकृत करवा लिया और अन्य भूमि का आपस में बंटवाडा कर लिया गया जिसकी जानकारी अपीलान्ट को नहीं दी गई। अपीलान्टस अनपढ महिलाएं है तथा शादी पश्चात अपने ससुराल में रहना प्रारम्भ कर दिया। चारों भाईयों में आपस में विवाद हुआ तो चारों ने मिलीभगती करते हुए रेस्पो0 संख्या 4 व 5 द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के विरूद्ध एक अपील नामा0 संख्या 61 को लेकर की गई तथा रेस्पो0 संख्या 1 से 4 ने सम्पूर्ण भूमि में चारों ने अपना हिस्सा दर्ज करवा लिया।

स्व. कौशलाराम पुत्र सुखा की अपीलान्टस जाईन्दा पुत्रियां है तथा कौशलाराम के फौतेदगी नामा0 में अपीलान्ट का नाम भी नियमानुसार दर्ज होना चाहिये था। रेस्पो0 संख्या 3 व 4 के द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील में अपीलान्ट का नाम खोला गया। इसी प्रकार से रेस्पो0 संख्या 1 व 4 भी इस तथ्य के बारे में मौन रहे व अपील में ऐसी प्रकार की इस्तदुआ रखी गई। रेस्पो0 संख्या 1 ता 4 के द्वारा साजिश के तहत न्यायालय को अंधेरे में रखकर 1/2–1/2 भूमि दर्ज करने का निवेदन किया था और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी रेस्पो0 संख्या 3 व 4 के नाम नामा0 भरने का आदेश पारित कर दिया। रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के द्वारा कोई एतराज नहीं उठाया गया जबकि रेस्पो0 संख्या 3 व 4 द्वारा यह स्पष्ट उल्लेख किया था कि नामा0 संख्या 61 स्वीकृत करते समय अधीनस्थ न्यायालय ने मृतक खातेदार के विधिक वारिसानों की जॉच के बारे में कोई आदेश नहीं दिया किन्तु न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट नगाराम, फूसाराम पुत्र कौशलाराम व अमुराम, बीरमाराम पुत्र कौशलाराम का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया गया। इस प्रकार पारित आदेश दिनांक 8.1.2018 स्पीकिंग आदेश की परिभाषा में नहीं आता है। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर अपीलान्टस ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

पक्षकारान अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे मुख्य रूप से कथन किया कि रेस्पोडेन्ट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत राजस्व अपील में उन्हें आवश्यक पक्षकार नहीं बनाया गया और अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टस द्वारा मिली भगती कर अपील पेश की गई थी। अपीलान्टस कौशलाराम की पुत्रियॉ होने के उनके हक प्रभावित होने के कारण से अपीलान्टस को यह अपील पेश करने की अनुमति प्रदान

अपीलान्ट अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलान्टस खातेदार कौशलाराम की जाईन्दा पुत्रिया सुगनी व लक्ष्मी है एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत खातेदार की प्रथम श्रेणी की वारिसान है। रेस्पो0 संख्या 3 व 4 ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रथम अपील पेश कर यही इस्तदुआ की कि केवल रेस्पो0 संख्या 4 व 5 का ही नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जा सके और इसी प्रकार रेस्पो0 संख्या 1 व 2 कोई एतराज भी नहीं उठाया और न्यायालय को अंधेरे में रखकर मिलीभगती करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित करवा लिया। अधीनस्थ न्यायालय ने नामा0 संख्या 61 को निरस्त किया जाकर विधिक वारिसों के ही आदेश दिये परन्तु इस बाबत जॉच के आदेश नहीं दिये गये जो स्पीकिंग आदेश नहीं है। इसके अतिरिक्त रेस्पो0 द्वारा पूर्वमें नामा0 संख्या 61 अपीलान्ट की बिना जानकारी करवा लिया और बाद में इस नामा0 के विरूद्ध कोलेजिव अपील पेश कर अपना नाम दर्ज करवा लिया ताकि अपीलान्ट को अपने हकों से महरूम कर सके। इस कार्यवाही की जानकारी अपीलान्टस को नहीं दी गई और न ही आवश्यक पक्षकार बनाया गया था।

अपीलान्टस के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी उन्हें तत्समय नहीं हो गई। तत्समय पश्चात अपीलान्ट अपने पीहर गई तब रेस्पोडेन्ट ने आपसी विवाद को लेकर पता चला तब उन्हें अपीलाधीन कार्यवाही का ज्ञात हुआ। तब अपीलान्ट ने बाप मुख्यालय जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 8.1.2018 की प्रमाणित प्रति प्राप्त की और वकील करते हुए अपील पेश करने की कार्यवाही गई है। अतः उक्तानुसार अपील को अन्दर म्याद शुमार करते हुए अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया जावें।

अपीलान्टस के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि प्रथम अपील में उनकों बिना पक्षकार बनाये तथा बिना सुनवाई का अवसर दिये ही अपील पेश कर नामा0 संख्या 61 को निरस्त करवा दिया तथा मिलीभगती करते हुए ख0सं0 175, 177 कुल 256 रकबा भूमि में रेस्पोडेन्टस नगाराम, फुसाराम पिता कौशलाराम व अमुराम, बीरमाराम पिता कौशलाराम का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने के आदेश पारित करवा लिये जबकि वे भी वादग्रस्त भूमि की हक–हिस्से की अधिकारी थी अतः अपीलान्टस की अपील स्वीकार की जावे तथा अपीलाधीन आदेश निरस्त कर अपीलान्टस का नाम भी राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जावें।

प्रत्युतर में रेस्पोडेन्ट की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के रेस्पो0 संख्या 3 व 4 के द्वारा प्रथम अपील पेश कर अपीलाधीन नामा0 संख्या 61 को निरस्त करने का निवेदन किया तथा निवेदन किया खातेदार कौशलाराम के नाम से भूमि खेत ख0सं0 175 रकबा 251 बीघा, ख0सं0 177 रकबा 05 बीघा कुल 256 बीघा भूमि नामान्तरकरण संख्या 61 में दर्ज थी। कौशलाराम के चार पुत्र नगाराम, फूसाराम, अमूराम व बीरमाराम था। पक्षकारान के पिता के स्वर्गवास होने के बाद उपरोक्त दोनों खसरों तथा नामा0 संख्या 61 में दर्ज भूमि का नामान्तरकरण रेसपोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अपने नाम से स्वीकृत करवा लिया और अन्य भूमि का आपस में बंटवाडा कर लिया गया जबकि नगाराम एवं फूसाराम भी जायन्दा पुत्र है। उक्त भूमि पर उनका आज दिन तक आधे हिस्से में कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलाधीन

नामा0 स्वीकृत करते समय वास्तविक कब्जे की जॉच नहीं की गई। उक्त नामा0 नियमानुसार ग्राम पंचायत के द्वारा स्वीकृत जाना था परन्तु उक्त नामा0 का तत्कालीन प्रधान, पंचायत समिति के द्वारा स्वीकृत किया गया जो नियम विरूद्ध था। ऐसे में उक्त विधि विरूद्ध एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के विपरित दर्ज होने से निरस्त किये जाने योग्य था।

रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रथम अपील में संस्थित सभी पक्षकारान की पूर्ण सुनवाई करने, विधि के तथ्यों का परीक्षण करने के उपरान्त, वादग्रस्त भूमि की वास्तविक कब्जे काश्त की स्थिति ज्ञात करने के उपरान्त, नामा0 ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत न कर प्रधान के द्वारा स्वीकृत करने को नियम विरूद्ध मानते हुए ही रेस्पोडेन्टस की उक्त प्रथम अपील को स्वीकार करते हुए नामा0 संख्या 61 को निरस्त कर उक्त खसरान भूमि बाबत नगाराम, फूसाराम पिता कौशलाराम व अमुराम, बीरमाराम पिता कौशलाराम का नाम दर्ज करने को जो आदेश पारित किया है वो विधि अनुकूल उचित होने से यथावत रखने योग्य है।

रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि वर्तमान अपीलान्टस स्वर्गीय कौशलाराम की पुत्रिया है अथवा नहीं अर्थात वारिसान है या नहीं। यह मुददा अधीनस्थ न्यायालय में पेश नहीं किया गया था। मात्र नामा0 संख्या 61 में कौशलाराम के चार पुत्रों में से दो पुत्रों का नाम दर्ज किये जाने/छूट जाने के आधार पर ही उनका नाम दर्ज किये जाने बाबत इस्तदुआ की गई थी। अपीलान्टस अपना हक–अधिकार प्राप्त करना चाहती है वो नामा0 अपील के जरिये प्राप्त नहीं कर सकती है, बल्कि नियमित राजस्व वाद दायर कर ही अनुतोष प्राप्त कर सकती है। अपीलान्टस के द्वारा प्रस्तुत यह अपील पूर्ण रूप से म्याद बाहर है जिसे अन्दर म्याद माने जाने हेतु कोई ठोस कारण नहीं बता पाई है। अतः इन सभी तथ्यों के आधार पर अपीलान्टस की अपील अस्वीकार की जावें तथा अपीलाधीन आदेश को यथावत बहाल रखा जावें।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, पारित निर्णय दिनांक 08.01.2018, इत्यादि का अवलोकन एवं अध्ययन किया। जिससे यह पाया गया कि नामा0 संख्या 61 सन 1971 में प्रधान पंचायत समिति बाप द्वारा पारित किया गया है जबकि नियमानुसार नामा0 स्वीकृति का क्षेत्राधिकार सम्बन्धित ग्राम पंचायत के सरपंच का है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र अपीलान्ट नगाराम व फुसाराम का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये गए जबकि अधीनस्थ न्यायालय को प्रधान पंचायत समिति बाप द्वारा स्वीकृत नामा0 को निरस्त किया जाकर श्री कौशलाराम के वारिसान की हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत जॉच की जाकर नामा0 स्वीकृत किये जाने के आदेश पारित किये जाने चाहिये थे। उक्त विश्लेषण व दस्तावेज के विवेचन के मध्यनजर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 8.1.2018 को निरस्त किया जाता है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विवेचन विश्लेषण करने के उपरान्त अपीलार्थीया की

कुशलाराम की बस्ती पटवार क्षेत्र देदासरी के खसरा संख्या 175 व 177 के सम्बन्ध में श्री कौशलाराम के विधिक वारिसान की जॉच की जाकर नियमानुसार नामान्तरकरण सम्बन्धी कार्यवाही की जावें। निर्णय आज दिनांक 21 जुलाई, 2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर